Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ

सज्जन कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी ढाणी केहरा चैहड़कला तहसील लोहारू जिला भिवानी हरियाणा बनाम जगदीश आदि

किस्म मुकदमा राजस्व प्रा. पत्र मुकदमा नम्बर 89/2022 U/S 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19.05.2022	आज यह प्रार्थना पत्र सज्जन कुमार ने जरिये श्री नारायण पंवार अधिवक्ता मार्फत पेश किया। । प्रार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अतः अंतरिम निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 285 तादादी 15.1800 हैक्टेयर रोही बीझांसर में उभयपक्षकारान मौका एवं रिकार्ड की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति बनायें रखें। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 20.06.2022 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 20.06.2022 को पेश हों । [signature] उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
27.5.22	आज यह पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। वादी द्वारा मूल वाद को विड्रो किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहा है। लिहाजा प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	सज्जन कुमार ID by [signature]